

16-12-19

ले वेग हो  
पुनर्परीक्षा के लिए वकील या पीएफ को बुलवा कर आग वारी  
न आग के री में खारिज हो चुका है प्राथमिकता का कोई  
अधिकार नहीं रहा है प्राथमिकता की खारिज किया जाता है  
पुनर्परीक्षा के लिए सुधार होकर बुलवा के साथ सलाह रहे।

सहायक कलेक्टर एवं  
कार्यपालक मजदूर

